12.00 NOON

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

अवैध खनन के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई

***181. **श्रीमती छाया वर्मा** : क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पर्यावरण की स्थिरता हेतु राज्यों में क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या मंत्रालय उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड से सटे जिलों में अवैध खनन को घ्यान में रखते हुए कोई ठोस कदम उठाएगा जिससे पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने हेतु इस क्षेत्र में अवैध खनन पर विराम लग सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): (क) से (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) मंत्रालय द्वारा पर्यावरण की स्थिरता सुनिश्चित करने और अवैध खनन के कारण पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत समय-समय पर यथा संशोधित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 जारी करना शामिल है। खनिजों के खान की सभी परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है। वनस्पति, प्राणियों, वायु, जल, भूमि, पर्यावरणीय स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं आदि पर विचार करने के बाद पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। खनन परियोजनाओं के संबंध में कड़ी शर्तें विनिर्दिष्ट की जाती हैं।

इसके अलावा, राज्यों में वहनीय रेत खनन को बढ़ावा देने के विचार से सरकार ने दिनांक 15.01.2016 की अधिसूचना द्वारा जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाले जिला पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (डीईआईएए) को, लघु खनिजों के वैयक्तिक खनन पट्टे के लिए 5 हेक्टेयर तक और सामूहिक पट्टे के लिए 25 हेक्टेयर तक के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का प्राधिकार प्रत्यायोजित किया है। डीईआईएए की सहायता के लिए सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता की अध्यक्षता में एक जिला विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (डीईएसी) का भी गठन किया गया है। मंत्रालय ने दिनांक 20.01.2016 की अधिसूचना का.आ.सं. 190(ई) द्वारा डीईआईएए और डीईएसी का गठन भी अधिसूचित कर दिया है।

(ख) और (ग) वर्ष 1999 में यथा संशोधित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23(ग) में राज्य सरकार को अवैध खनन को रोकने, खनिजों की ढुलाई और भण्डारण के संबंध में नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार, बुंदेलखंड में नदी रेत/मोरम खनन के लिए चार खनन पट्टे हैं जिनके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर रखी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को बुंदेलखंड में अवैध रेत खनन के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जांच की गई है। स्थल-निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 4 नवम्बर, 2015 के पत्र द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत एक आदेश जारी किया गया था जिसमें उन्हें स्थल पर पर्यावरणीय मानदण्डों के उल्लंघन को तत्काल बंद कराने का निदेश दिया गया था।

Offsetting environmental losses due to illegal mining

†*181. SHRIMATI CHHAYA VERMA: Will the Minister of ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE be pleased to state:

(a) the steps being taken in the direction of environmental stability in the States to offset the losses caused to environment due to illegal mining in different areas of the country;

(b) whether, in view of the illegal mining in districts adjoining Bundelkhand in Uttar Pradesh, the Ministry would take any concrete steps so that illegal mining in this area could be stopped to prevent damage to environment; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The steps taken by the Ministry to ensure environmental stability and to offset the losses caused to environment due to illegal mining *inter-alia* include the notification of the Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006, as amended from time to time, under the Environment (Protection) Act, 1986. All the projects of mining of minerals require prior Environmental Clearance. The Environmental Clearance is granted after consideration of various aspects related to flora, fauna, air, water, land, environmental health aspects etc. Strict conditions are prescribed to the mining projects.

† Original notice of the question was received in Hindi.

Further, with a view to promote sustainable sand mining in the States, the Government has delegated, *vide* notification dated 15.01.2016, the Authority of Environmental Clearance up to 5 hectare of individual mining lease of minor minerals and 25 hectares in clusters to the District Environment Impact Assessment Authority (DEIAA) headed by the District Magistrate/District Collector. A District Expert Appraisal Committee (DEAC) has also been constituted under the chairmanship of the Executive Engineer, Irrigation Department to assist the DEIAA. The Ministry has also notified the constitution of DEIAA and DEAC, *vide* Notification SO No. 190 (E) dated 20.01.2016.

(b) and (c) Section 23 (C) of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as amended in 1999, authorizes State Government to make rules for preventing illegal mining, transportation and storage of minerals. As per information received, there are four mine leases for river sand/moram mining in Bundelkhand for which the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) has granted Environment Clearance. The MoEF&CC has received a complaint regarding illegal sand mining in Bundelkhand which has been examined by the Regional Office of the MoEF&CC at Lucknow. Based on the site inspection report, an order under Section 5 of Environment (Protection) Act, 1986 was issued *vide* dated 4th November, 2015 to the Government of Uttar Pradesh directing them to immediately stop the violation of environmental norms on the site.

श्रीमती छाया वर्माः माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहती हूं कि रेत का अवैध खनन कई राज्यों में खूब जोर-शोर से कानून को ठेंगा दिखाते हुए चल रहा है। इस बात को सरकार जानती है, लेकिन फिर भी कुछ करती नहीं है। अदालतें भी इसकी रोकथाम हेतु केन्द्र सहित राज्य सरकार को कई बार कह चुकी है। मैं छत्तीसगढ़ का एक ताजा मामला बताना चाहती हूं कि राजधानी से लगा हुआ एक पेंड्रावन जलाशय है, जो बहुत बड़ा जलाशय है, उसको दो बार राज्य शासन अपनी चहेती कम्पनी को अवैध उत्खनन के लिए ठेका दे रही थी, लेकिन भारी विरोध के बाद उसको निरस्त किया गया।

श्री सभापतिः आपका सवाल क्या है?

श्रीमती छाया वर्माः महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार कोई ऐसा तंत्र विकसित करेगी, जिससे अवैध खनन को वैध बनाने की प्रवृत्ति पर विराम लग सके?

श्री प्रकाश जावडेकरः इल्लीगल माइनिंग एक बड़ा इश्यू है। यह मेजर मिनरल्स में भी और मॉइनर मिनरल्स में भी है तो मेजर मिनरल्स में नई टेक्नोलॉजी के साथ अब इस तरह से सैटेलाइट से देखा जा रहा है। उससे सैंकड़ों प्रकरण ऐसे आए, जिस पर तुरन्त कार्यवाही शुरु हुई कि उनका जहां

क्षेत्र था, उन्होंने उससे बढ़ाया है या कोई डम्प करके रखा है, जबकि लीगली एलाउड नहीं है, तो ऐसे लोगों पर इल्लीगल माइनिंग के लिए कार्यवाही हो रही है। इसका इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकारों के पास होते हुए भी इस टेक्नोलॉजी से एक अच्छा प्रयास हुआ है और उसका परिणाम अच्छा आया है। जो छोटे हैं सैंड और स्टोन, सैंड माइनिंग में बहुत ज्यादा इल्लीगेलिटी थी। हमने एक पारदर्शी प्रक्रिया बनाई है जिसके तहत सैटेलाइट से पहले मैपिंग होती है नदी की कि कहां और कितनी बालू जमा है और उतनी और वही बालू निकालने के लिए परमिशन दी जाने लगी है। पहली दफा आजाद हिन्दुस्तान में यह लाइसेंसिंग का काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी दिया गया है 5 हेक्टेयर तक का और उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक्सपर्ट कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी तय हुई और उसकी अथॉरिटी भी वहां दे दी गई है। तो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन भी केन्द्र सरकार के साथ काम करने लगा है। उसकी तीसरी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस सारे प्रोसीजर में 5 ट्रक सैंड ले जाने की है और अगर कोई 10 ट्रक ले जा रहा है तो ऐसा रोकने के लिए उसको बार कोडिंग रसीद मिलेगी, जिससे एक ही रसीद पर बार-बार ट्रक नहीं जाएगा। यह भी सारी सुव्यवस्थित प्रक्रिया तैयार की गई है और इसका अमल अनेक राज्यों ने अच्छी तरह से किया है। बाकी राज्यों से भी हम कह रहे हैं कि इसी तरह से करो क्योंकि now, it is notified. So, it is justicable.

श्रीमती छाया वर्माः माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न पर्यावरण के बारे में है। अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आसपास सड़क चौड़ीकरण के लिए बहुत ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। उसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि राजधानी से लगे हुए एरिया में इतनी ज्यादा फैक्टरीज हो गई हैं, जिसके कारण वायु इतनी प्रदूषित हो गई है और डॉक्टर्स की रिपोर्ट बतलाती है कि जब गर्भवती महिलाएं सांस लेती हैं तो उनके होने वाले बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। तो माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगी कि वे इस दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं?

श्री प्रकाश जावडेकरः यह इल्लीगल माइनिंग से संबंधित नहीं है, लेकिन जो पेड़ किसी विकास कार्य के लिए हटाते हैं, अभी हाईवे मिनिस्टर यहीं हैं, और ट्रांसप्लांटेशन भी जितने पेड़ों का हो सकता है, वह तो करते हैं और बाकी जगह ग्रीनरी की भी वैकल्पिक व्यवस्था होती है। तो सब मिलकर एक पेड़ काटा तो दस पेड़ लगेंगे, इस तरह की एक पूरी मुहिम चलती है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा सफल परिणाम मिल भी रहा है।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, this is amusing. I don't know from when my friend, Prakashji, in addition to the HRD Ministry, has also taken charge of the Environment Ministry. ...*(Interruptions)*... This is in a lighter vein. I am really enjoying the way in which he is efficiently tackling the things. Secondly, Sir, this question relates to not only sand mining, but all kinds of illegal mining, which is creating serious environmental hazards and more dangerously, a widespread land subsidence is taking place. People are dying. Only in my State, I know about the coal mine area where a lot of illegal mining activities are going on and only a few months back, many people died. We do not know about

the number of people who have died. The people, who are dying because of subsidence and just putting in the underground fire, don't get any compensation also. This is a very horrible state of affairs because of illegal mining and it seems to be uncontrollable. I have taken up this issue a number of times. This is the situation even when you are directly taking care of the Forest Ministry. The problem is that the Central Government and the State Government have been passing the buck to each other. Now, it is good that the Coal Minister has also come. It is my suggestion and I would like to ask the Minister whether a task force kind of a thing will be created with the participation of both, the State and Central Governments, to directly supervise and stop this menace, which is leading to serious environmental hazards and sometimes, disasters leading to huge fatality. I think, this is the need of the hour. Instead of passing buck to the State Government, or by the State Government to the Central Government, will both the Governments together, in the spirit of federalism, make a concrete technologically-efficient task force to look after and stop the illegal mining?

MR. CHAIRMAN: It is a suggestion that may be considered.

श्री प्रकाश जावडेकरः सर, तपन कुमार सेन जी का यह सवाल नहीं है, बल्कि यह एक अच्छा सुझाव है। This is a suggestion for action and I take it in that spirit.

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धेः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि 4 नवम्बर, 2015 को उत्तर प्रदेश सरकार को ये आदेश दिए गए थे कि अवैध खनन को रोकने के लिए तुरंत कार्यवाही की जाए। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि उसके बाद क्या कोई कार्रवाई हुई है या वहां पर कानून का सम्मान करने वाली सरकार आने की राह देखी जा रही थी?

MR. CHAIRMAN: Let this question be a question.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, it is a question which differs from State to State. Twenty-three States have already formed their Task Forces to take action because we believe in co-operative federalism where we are motivating States to take stern action. सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे स्वयं के पास illegal mining की एक शिकायत आयी थी। मैंने हमारे कलेक्टर को उसके बारे में कहा। जब कलेक्टर ने वहां जांच की तो illegal mining हो रही थी। तब उन्होंने वहां कानून के मुताबिक फाइन लगाया और पूरे जिले में उन्होंने मुहिम चलाई। उस एक जिले से 125 करोड़ रुपए का फाइन तीन महीने में इकट्ठा हुआ। Can you imagine, illegal mining का कितना अधिक फैलाव है? इसको कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र, दोनों को मिलकर काम करना होगा। सर, एक सार्थक योजना बनी भी है और लगातार इस

संबंध में काम चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है, after notification, जो हुआ है, अब यह justiciable है, लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं। यह एक अच्छी स्थिति है। इस तरह से हम illegal mining को अवश्य रोकेंगे।

चौधरी सुखराम सिंह यादवः सर, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अवैध खनन सबसे खराब चीज़ है, लेकिन जैसा मैं देख रहा हूं, सारे के सारे विकास कार्य ठप हो रहे हैं क्योंकि लोगों को बालू नहीं मिल पा रही है। क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई योजना बनाएंगे, ताकि अवैध खनन भी न हो और विकास कार्य भी प्रभावित न हों?

श्री प्रकाश जावडेकरः सर, अनेक जगह बालू की समस्या अनेक कारणों से थी और वहां बालू नहीं मिल रही थी, लेकिन अब एक systematic policy तय की गयी है और sand mining के लिए scientific Sustainable Sand Mining Policy के notify होने के बाद एक साल में स्थिति में बहुत अंतर आया है और अंडमान जैसी जगह, जहां यह प्रश्न CRZ के कारण भी पैदा होता था और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी था, उससे रास्ता निकालकर जितनी बालू भवन निर्माण के लिए चाहिए, वह मिलने की व्यवस्था हुई है और वह constantly monitor भी हो रही है।

Use of traditional biomass for cooking

*182. SHRI HUSAIN DALWAI: Will the Minister of NEW AND RENEWABLE ENERGY be pleased to state:

(a) whether a large population of the country still uses traditional biomass for cooking;

(b) if so, the number of households still dependent on biomass on cooking, State-wise;

(c) whether the use of biomass cooking is a cause of indoor air pollution;

(d) if so, the details of deaths caused due to indoor air pollution since January, 2012, year-wise and State-wise; and

(e) the steps taken by Government to reduce the dependence of households on biomass and the progress made so far?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) As per Census 2011, about 65.9% of households depend on solid biomass including firewood, crop residue and cow dung as primary fuel for cooking in